मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

RAJASTHAN RMSC MEDICAL SERVICES CORPORATION

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005 (राज.)

फोन न: 0141-2228066 , 2228064 फैक्स नं 0141-2228065 वेबसाईट : www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

सीआईएन. :U24232RJ2011SGC035067 ई–मेल :: rmsc@nic.in

क्रमांक : प.05(पीएफ) / आरएमएससी / क्यू.सी. / 2025–26 / 1845 दिनांक : 10/11/25

आदेश

M/s Maxwell Life sciences Pvt.Ltd., T-53 &T-81,M.I.D.C.,Tarapur, Boisar,Dist.Palghar-401506 से निविदा क्रमांक F.02(359)/ RMSCL/ PROCUREMENT/ Drug/ NIB-13/ 2022/ 2271 दिनांक 25.07.2022 के तहत् औषधि Primaquine Tablet IP [129] की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 4453 दिनांक 23.09.2024 व 1704 दिनांक 02.06.2023 जारी किये गये थे।

उक्त क्रय आदेश की पालना में आपूर्ति की गयी औषधि के बैच संख्या MT445 व MT346 को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत औषधि नियंत्रण अधिकारियों, द्वारा लिये गये नमूने को उनके द्वारा जॉच हेतु राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया।

राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला से औषधि के उपरोक्त बैच संख्या MT445 में फर्म द्वारा क्लेम की गई मात्रा के मुकाबले Primaquine की मात्रा 82.6% पाई गई, बैच संख्या MT346 में फर्म द्वारा क्लेम की गई मात्रा के मुकाबले Primaquine की मात्रा 79.96% पाई गई जो कि निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं है एवं Not of Standard Quality (Grossly Substandard) की श्रेणी में हैं।

राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला से औषधि के बैच संख्या MT445 व MT346 अमानक कोटि की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 28.10.2025 में रखा गया। फर्म को दिनांक 17.10.2025 को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिये अवसर दिया गया। फर्म की और उपस्थित प्रतिनिधि को सुना गया। फर्म की और से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा समिति सदस्यों के समक्ष कोई नया तथ्य प्रस्तुत नही किया गया।

राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा उक्त औषधि के उक्त बैच को Not of Standard Quality (Grossly Substandard) की श्रेणी में अमानका कोटि का घोषित किया गया है। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम की विवर्जन संबंधी गाइडलाइन के क्लॉज 4.6(2) एवं 11 (ii) के तहत Not of Standard Quality (Grossly Substandard) की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 16(2) Quality Testing /19(3) Quality Control Deduction and Other Penalties के अनुसार निविदादाता द्वारा आपूर्ति की गई औषधि के सैम्पल गुणवत्ता मानकों अनुसार नहीं पाये जाने पर विवर्जन संबंधी दिशा–निर्देशों (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश

Signature valid

Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation: Managing Director
Date: 2025.11.07 19:29:26 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18699077
eSign 1.0

क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.6(2) एवं 11 (ii) के अनुसार कार्यवाई किये जाने का प्रावधान है। विवर्जन संबंधी दिशा–निर्देशों के क्लॉज संख्या 4.6(2) एवं 11 (ii) क्रमशः निम्नानुसार है:–

4.6(2) **Grossly substandard** If two or more batches supplied under a tender tenure by the supplier is declared as Not of Standard Quality by an empanelled lab or Govt. Lab, which falls in grossly substandard and such failure is further confirmed by Govt. Lab, then the Product shall be liable for debarring for a period of not less than two (2) years.

11(ii) On the basis of quantitative analysis (Assay), the NOSQ drug shall be distinguished in the following manner :-

Category of NOSQ drugs	Active ingredient content (Assay)	
	Thermo stable	**Thermolabile**
Minor	Upto 5% less than the prescribed lower limit	Above 70% to the prescribed lower limit
Grossly Substandard	Below 5% of the prescribed lower limit to 50%	70% to 40%
Spurious	Below 50%	Below 40%

अतः निविदा की शर्त संख्या 16(2) Quality Testing /19(3) Quality Control Deduction and Other Penalties के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबंधी दिशा निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.6(2) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 28.10.2025 की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म मैसर्स Maxwell Life sciences Pvt.Ltd., T-53 &T-81,M.I.D.C.,Tarapur, Boisar,Dist.Palghar-401506 की औषधि Primaquine Tablet IP [129] के लिये यह आदेश जारी करने की तिथि से **3 वर्ष (36 माह)** के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है।

इस आदेश का पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा प्रतिस्थापित (Replacement) प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई गई हो, पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

(पुखराज सैन)
आई.ए.एस
प्रबन्ध निदेशक

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation: Managing Director
Date: 2025.11.07 11:29:26 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18699077
eSign 1.0

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2025–26/1844 दिनांक : 10/11/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, मिशन निदेशक,एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रंण, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
6. निजी सहायक, निदेशक,पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू. चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सहायक, औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
8. निजी सहायक, औषधि नियंत्रक, राजस्थान/महाराष्ट्र ।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं उप.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
12. M/s Maxwell Life sciences Pvt.Ltd., T-53 &T-81,M.I.D.C.,Tarapur, Boisar,Dist.Palghar-401506
13. आदेश पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक

Signature valid

Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation : Managing Director
Date: 2025.11.07 1?:29:26 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18699077

eSign 1.0